7/19 पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार पत्रावली दिनांक 23/7/19 को पेश हो ।

7/19 पत्रावली पेश बार एसोसियशन से कार्य स्थगन का निवेदन किया / पत्रावली इत्तला बाकर दिनांक 24/7/19 को पेश हो ।

24.7.19. पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित.

बहस सुनी गयी प्रार्थी ने ग्राम राजालिया के ख० नं० 264 रकबा 1.83 है० बारानी प्रथम के आने जाने हेतु ख० नं० 278 की उत्तरी दिशा के महरे-महरे रास्ते की मांग की ख० नं० 278 व खातेदार मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज की खातेदारी में दर्ज किया है। अप्रार्थी क्र-3 नारायण पुत्र रामदान निवासी राजालिया ने अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रकट किया कि ख० नं० 264 तक जाने हेतु आदेशक [illegible] इनके पूर्व के महखातेदारों में बंटवारा हुआ है उसमें आम रास्ता जो ख० नं० 264 की सीमा में छोड़ा हुआ रखा है उसकी किस्म बारानी होना - [illegible] 13 फीट चौड़ा है जो किस्म ख० नं० 1089/264 1085/265 रास्ते के रूप में अंकित है। मिलान पूर्व क० भू० निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट है.

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम की तारीख
	बहक रिपोर्ट तहसीलदार व अभिलेख व भू.अ.नि. इंदोखा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह पिता मोहनसिंह राजपूत ग्राम राजलियावास द्वारा खसरा नं. 264 रकबा 1.83 है. के आने जाने हेतु रास्ता हेतु खसरा नं. 278 (1.09 हैक्टर) स्वामित्व रास्ता लगते हुए खसरा नं. 1089/264, 1085/265 निजखातेदारी किसानों के मध्य रास्ता के रूप में दर्ज है।	
	अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A अनुसार रास्ता उपलब्ध होने एवं रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित न पाये जाने पर प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत ग्राम राजलियावास द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 A के तहत रास्ता चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.7.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।	
	Sd- ([illegible]) उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	